67

COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(1)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्रमांक .... निग -1837- I -16 सन् 2016

1. योगेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री डॉ0 भगवान सिंह गौर
2. ~~शैलेन्द्र~~ सिंह तनय स्व0 श्री डॉ0 भगवान सिंह गौर

निवासीगण वार्ड नं0 25 नर्मदेश्वर रोड छतरपुर

तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0) ——————निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती किरण सिंह चौहान पुत्री स्व0 श्री डॉ0 भगवान सिंह गौर पत्नी नरेन्द्र सिंह चौहान निवासी मकान नं0 11 छत्रशाल नगर छतरपुर
2. श्रीमती रेखा सोलंकी पत्नी श्री सौरभ सिंह सोलंकी पुत्री स्व0 श्री डॉ0 भगवान सिंह गौर निवास मकान नं0 234 गोयल नगर बंगाली चौराहा कनाडिया रोड इंदोर म0प्र0
3. श्रीमती चित्रा गहिरवार पत्नी श्री योगेश प्रताप सिंह गहरवार पुत्री स्व0 श्री डॉ0 भगवान सिंह गौर निवासी रेवा होटल के पास शहडोल तहसील व जिला शहडोल ——————गैरनिगरानीकर्तागण

श्री अजय श्रीवास्तव (एड.) द्वारा आज दि. -8/6/16 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ बोर्ड राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 32/अ-27/2015-16 न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 से परिवेदित होकर ।</u>

अजय श्रीवास्तव (एड0) सागर

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण निम्न लिखित, निगरानी प्रस्तुत करते है :-

1. यह कि ग्राम बसारी की भूमि खसरा नं0 2853 रकवा 1.327 हे0 का खाता शामिल सरीक रूप से आवेदक एवं अनावेदकगणों के नाम से राजस्व अभिलेख में बतौर भूमि स्वामी दर्ज था जिसका वारसान नामान्तरण डॉ0 भगवान सिंह गौर का स्वर्गवास होने के पश्चात आवेदकगण एवं अनावेदकगणों को भूमि प्राप्त हुई थी ।

क्रमशः//2//

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग॰ 1837/I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-6-16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजगनर के प्रकरण क्रमांक 32/अ—27/2015—16 में पारित आदेश दि. 12—05—2016 के विरूद्व म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। आवेदक एवं अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे भाई—बहन है जिन्होंने बटवारा हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें अनावेदक 1 लगायत 3 द्वारा उल्लेखित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि आवेदकगण के नाम नामांतरित किए जाने की सत्यापित सहमति पत्र प्रस्तुत कर नामांतरण किए जाने की अनुमति प्रदान की थी। किंतु विचारण न्यायालय द्वारा स्वत्व का प्रश्न निहित होने का आधार लेते हुए कार्यवाही स्थिगित की है आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क मान्य किए जाने योग्य है कि उल्लेखित भूमि आवेदकगणों एवं अनावेदकगणों के पिता की भूमि है जिसमें बहनों द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय किया जा चुका है तथा भाई के नाम नामांतरण किए जाने हेतु सहमति पत्र निष्पादित किया है इस कारण तहसीलदार बसारी द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर द्वारा पारित आदेश दि. 12.05.16 निरस्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि भूमि ख०नं० 2853 पर बटवारा फर्द सूची अनुसार रकवा 0.664 हे० योगेन्द्र सिंह व रकवा 0.663 हे० दीपेन्द्र सिंह के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.